न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 992/2022

अनवान : –

1. रोशनी पत्नी साहबराम जाति मेघवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रामदेव पुत्र जेठाराम जाति मेघवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
3. उप पंजीयक रामगढ़ तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

4. बसन्ती पुत्री साहबराम जाति मेघवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. शर्मिला पुत्री साहबराम जाति मेघवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 29/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 34/33 की कुल 3.1750 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 25 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 39/33 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि मे से 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 तहसील नोहर के खाता संख्या 39/37 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि मृतका ज्याना देवी पत्नी जेठाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ज्याना देवी पत्नी जेठाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया की सास ज्याना देवी पत्नी जेठाराम का स्वर्गवास हो चुका है। ज्याना देवी ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की समस्त भूमि की दस्तबरदारी दिनांक 18.10.2022 को अकेले प्रतिवादी सं0 1 रामदेव के पक्ष में कर दी थी जबकि उसमें वादीया व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 का भी हक हिस्सा था इसलिए जन्मजात शुन्य दस्तावेज दस्तबरदारी के आधार पर नामान्तरण को दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी स0 1 के साथ वादीया व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 का संयुक्त रूप से बहिब हक हिस्सा है। वादीया जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने की अधिकारी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:12 IST
Reason: SelfAttested

किसी एक वारीस के पक्ष में दस्तबरदारी की जाती है तो वह कानूनी रूप से सभी वारीसों में बहिब ही माना जाता है इसलिए उपरोक्त दस्तबरदारी के आधार पर प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में नामान्तरण दर्ज नही किया जाता सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीया ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2073–76 रोही मौजा 7 आरएमजी खाता संख्या 39/37 प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत 2070–2073 रोही मौजा 25 डीपीएन खाता संख्या 39/33 प्रदर्श–2, जमाबंदी सम्वत 2076–79 रोही मौजा 23 डीपीएन खाता संख्या 34/33 प्रदर्श–3, मृत्यु प्रमाण पत्र ज्याना देवी प्रदर्श–4 ए, मृत्यु प्रमाण पत्र साहबराम प्रदर्श–5 ए, मृत्यु प्रमाण पत्र रविना प्रदर्श– 6 ए, चित्रप्रति सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–7 ए आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादीया के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादीया की सास के नाम दर्ज है वादीया की सास ज्याना देवी व वादीया के पति साहबराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 34/33 की कुल 3.1750 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 25 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–73 के खाता संख्या 39/33 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि मं से 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 तहसील नोहर के खाता संख्या 39/37 की कुल 2.

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

0240 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि मृतका ज्याना देवी पत्नी जेठाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वादीया की सास ज्याना देवी ने उक्त वाद भूमि की दस्तबरदारी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में करवा दी जबकि उक्त वाद भूमि पैतृक है इसलिए वादीया एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। वादीया की सास ज्याना देवी एवं वादीया के पति साहबराम के पति का देहान्त हो चुका है। वादीया के उक्त कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक ज्याना देवी के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 34/33 की कुल 3.1750 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 25 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–73 के खाता संख्या 39/33 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि मं से 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 तहसील नोहर के खाता संख्या 39/37 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि मृतका ज्याना देवी पत्नी जेठाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक ज्याना देवी पत्नी जेठाराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 1/2 हिस्सा भूमि का वादीया व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:12 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 992/2022

अनवान : –

1. रोशनी पत्नी साहबराम जाति मेघवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रामदेव पुत्र जेठाराम जाति मेघवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
3. उप पंजीयक रामगढ़ तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

4. बसन्ती पुत्री साहबराम जाति मेघवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. शर्मिला पुत्री साहबराम जाति मेघवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 992 सन 2022 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 34/33 की कुल 3.1750 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 25 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 39/33 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 तहसील नोहर के खाता संख्या 39/37 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि मृतका ज्याना देवी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक ज्याना देवी का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 1/2 हिस्सा भूमि का वादीया व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:12 IST
Reason: SelfAttested